पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का आपराधिक पुनिरीक्षण सं.410

मामला बरहरिया थाना कांड संख्या 44 वर्ष 2009 जिला-सिवान से उद्धृत

==========

1. द्रौपदी कुंवर @द्रौपदी कुंवर, पत्नी स्वर्गीय विजय मिश्रा@विजय कुमार, निवासी- उसारी, थाना -बरहरिया (जी. बी. नगर), जिला-सिवान (बिहार)।

2. अनूप मिश्रा, पुत्र- स्वर्गीय विजय मिश्रा @विजय कुमार, निवासी -उसारी, थाना बरहरिया (जी. बी. नगर), जिला-सिवान (बिहार)।

3. देवेंद्र मिश्रा, पुत्र- स्वर्गीय रामायण मिश्रा, निवासी- उसारी, थाना.-बरहरिया (जी. बी. नगर), जिला-सिवान (बिहार)।

.... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. बाबुनंद मिश्रा, पुत्र-स्वर्गीय रामदादन मिश्रा, ग्राम के निवासी-

..... उत्तरदाताओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री विजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री उपेंद्र कुमार, एपीपी

ओ. पी. संख्या 2 के लिए : कोई नहीं

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *सीआरपीसी की धारा 319*

संदर्भित मामले:

- *हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 3 एससीसी 92*
- *एस. मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेंद्र चांडक और अन्य (2017) 16 एससीसी 226*
- *राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2019) 6 एससीसी 368*
- *मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2021) 18 एससीसी 321*
- *जितेंद्र नाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2023) 7 एससीसी 344*
- *जुहरू और अन्य बनाम करीम और अन्य (2023) 5 एससीसी 406*
- *ओएमआई @ ओमकार राठौर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य जैसा कि 3.01.2025 को निर्णय लिया गया [एसएलपी (क्रिम) संख्या 17781/2024]*
- *जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 1 एससीसी 107*
- *सोहन लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1990) 4 एससीसी 580*

क्रिमिनल रिवीजन - *उस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका जो सत्र न्यायालय में हुई सत्र ट्रायल में याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के तहत समनित किया गया था।*

याचिकाकर्ताओं का नाम एफआईआर में था और जांच के बाद उन्हें आरोपपत्र नहीं दाखिल किया गया था। हालांकि, तीन अभियोजन गवाहों की परीक्षा के बाद, अभियोजन की आवेदन पर, लर्नड ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के तहत याचिकाकर्ताओं को आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए समन किया।

निर्णय*- कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को आरोपी के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए समनित कर सकता है, यदि कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि मुकदमे की चल रही कार्यवाही के दौरान दी गई साक्ष्य के आधार पर वह व्यक्ति*

अपराध का दोषी है। इस प्रावधान के पीछे का तर्क यह है कि अदालत ही न्याय का एकमात्र स्त्रोत है और उस पर यह कर्तव्य है कि वह कानून के शासन को बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दोषी व्यक्ति आपराधिक न्याय प्रणाली से बच न जाए, चाहे वह जांच या अभियोजन एजेंसी के साथ साजिश कर रहा हो। (पैरा 20)

भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है, जिसे संकोच से और केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए, जहाँ मामले की परिस्थितियाँ इसे उचित ठहराती हैं। इसे हल्के में और बिना ध्यान दिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। (पैरा 23)

आरोप है कि याचिकाकर्ताओं और सह-आरोपियों ने सूचनार्थी के झोपड़ी जैसे घर में आग लगाई, जिसके परिणामस्वरूप उसका घर और घरेलू सामान नष्ट हो गया। कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने स्पष्ट रूप से यह गवाही दी कि याचिकाकर्ताओं ने सूचनार्थी के घर में आग लगाई, जिसके परिणामस्वरूप उसका घर और घरेलू सामान नष्ट हो गया। उनकी गवाही को क्रॉस-एग्जामिनेशन के बाद भी नष्ट नहीं किया जा सका। (पैरा 29)

अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि आरोपियों याचिकाकर्ताओं और सूचनार्थी के बीच उस भूमि को लेकर विवाद था, जिस पर सूचनार्थी का झोपड़ी जैसे घर खड़ा था और जिसे आग से नष्ट किया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से अपराध करने का एक मजबूत मकसद प्रतीत होता है। (पैरा 30)

इसलिए, चल रही कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए साक्ष्य मजबूत और स्पष्ट हैं। यह एक प्राथमिक दृष्टिकोण से अधिक है। (पैरा 31)

याचिका खारिज की जाती है। *(पैरा 32)*

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

तिथि : 07-01-2025

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को याचिकाकर्ताओं द्वारा 2012 के सत्र वाद संख्या 122 में विद्वान ट्रायल कोर्ट एफ.टी.सी-I, सिवान द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2020 के खिलाफ पेश किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए धारा 319 सीआरपीसी के तहत तलब किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला सूचक द्वारा जी. बी. नगर, पुलिस थाना, सिवान में दी गई लिखित सूचना दिनाक 04.04.2009 से सामने आया है। जिसमे सूचक का कहना है कि आरोपी केशव मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा, द्रौपदी कुंवर और अनूप मिश्रा ने सूचक के झोपड़ी जैसे घर में आग लगा दी, जहां वह अपने पुराने घर को ध्वस्त करने के बाद अपने घरेलू सामान को स्थानांतरित कर रहा था। घर में आग लग गई। घर जलने के समय उसका भाई और पुत्र मौजूद थे। चार नई साइकिलें, बड़े डिब्बे, अनाज के सौ बोरे, धान और गेहूं, सिलाई मशीन, पंपिंग सेट, थ्रेशर और अन्य सामान जिनका मूल्य 4-5 लाख रुपये था वो सब म नष्ट हो गए। उसके घर में आग लगाने के बाद आरोपी भाग गए।

3. लिखित रिपोर्ट के आधार पर, 2009 का बरहरिया थाना कांड संख्या 44, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 436 के तहत दंडनीय अपराध के लिए चार अभियुक्तों, केशव मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा, द्रौपदी कुंवर और अनूप मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद, केवल एक अभियुक्त केशव मिश्रा

के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और बाकी अभियुक्तों को पुलिस द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष के तीन गवाह शिवनाथ साह, बाबुनंद मिश्रा और लालबाबू मिश्रा से पूछताछ की गई और उनकी जांच के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा बाकी आरोपी को तलब करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया जो यहाँ याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ताओं को पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाते हुए, विवादित आदेश द्वारा विद्वान् निचली अदालत द्वारा आवेदन की अनुमति दी गई थी। पीड़ित होने के कारण याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है

5. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना और राज्य के लिए विद्वान् एपीपी को सुना। हालांकि, ओ. पी. नंबर 2 की ओर से कोई मौजूद नहीं है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह आगे निवेदन करते है कि विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

7. अपनी दलीलों को साबित करने के लिए, वह आगे निवेदन करता है कि याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकी में आरोपी नामित किया गया था, लेकिन जांच के बाद, उन्हें निर्दोष पाया गया और इसलिए, उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और इस तरह, वे धारा 319 सीआरपीसी की पहुंच से बाहर हैं क्योंकि वे पहले से ही आरोपी थे और इसलिए, धारा 319 सीआरपीसी उनके खिलाफ लागू नहीं होगी और उन्हें तलब नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विद्वत निचली अदालत ने मुकदमे के दौरान दर्ज अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए गलती से तलब किया है। वह इसी उच्च न्यायालय

के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2024 **शिवाजी सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्न** मामले (2016 का क्र.विविध सं. 31020) का उल्लेख करते है और उस पर निर्भर करते है।

8. वह यह भी प्रस्तुत करते है कि धारा 319 सी.आर.पी.सी के तहत एक आरोपी को बुलाने के लिए आवश्यक साक्ष्य का मानक भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में नहीं है और इसलिए, विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

9. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहते है कि विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और इसलिए, उन्हें मुकदमे के दौरान आए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर धारा 319 सीआरपीसी के तहत तलब किया जा सकता है।

10. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

11. इससे पहले कि मैं पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करूं, धारा 319 सीआरपीसी के तहत न्यायालयों की शक्ति के दायरे और सीमा की जांच करना उचित होगा जो निम्नानुसार हैः

> **“319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति -**
>
> (1) जहां, किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति का अभियुक्त के साथ मिलकर विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के

विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसके द्वारा किया हुआ प्रतीत होता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, वहाँ उसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार पूर्वोक्त परियोजन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है।

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाला किसी भी व्यक्ति को, यद्यपि वह गिरफ्तार न हो या समन पर न हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या विचारण के लिए के उद्देश्य से निरुद्ध किया जा सकता है जो उसनेद्वारा किया प्रतीत होता है।

(4) जहां न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करता है, वहां -

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की पुनः सुनवाई की जाएगी।

(ख) खंड (क) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मामला इस प्रकार आगे बढ़ सकता है मानो ऐसा व्यक्ति उस समय अभियुक्त था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था।

12. हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में, (2014) 3 एस. सी. सी. 92, सर्वोच्च न्यायालय की माननीय संविधान पीठ के पास धारा 319 सीआरपीसी के तहत न्यायालयों की शक्ति के दायरे और दायरे पर विस्तार से विचार करने का अवसर था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

> “19. अदालत न्याय का एकमात्र भंडार है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए उस पर एक कर्तव्य डाला गया है और इसलिए, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अदालतों के साथ ऐसी शक्तियों के अस्तित्व से इनकार करना अनुचित होगा, जहां यह असामान्य नहीं है कि वास्तविक आरोपी, कभी-कभी, जांच और/या अभियोजन एजेंसी में हेरफेर करके भाग जाते हैं। विचारण से बचने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि एक अभियुक्त समय

समय पर अनुसंधान या जाँच के चरण में भी खुद को दोषमुक्त करने का प्रयास करता है, भले ही वह अपराध करने से जुड़ा हो।

.....

22. हमारी राय में, धारा 319 सी. आर. पी. सी. एक सक्षम प्रावधान है जो अदालत को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए सशक्त बनाता है जो विचरण के दौरान अपराध करने के लिए भी आरोपी नहीं है। यह वह भाग है जो इस न्यायालय के समक्ष संदर्भ के अधीन है और इसलिए हमारी राय में, यहाँ निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर देते समय, हम उस स्थिति पर विचार करने के लिए कोई संघर्ष नहीं पाते हैं जिससे इस न्यायालय द्वारा धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 305 में पाया गया था।

.....

95.संज्ञान लेते समय, अदालत को यह देखना होता है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत, हालांकि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण समान है, लेकिन संतुष्टि की मात्रा जो आवश्यक है वह बहुत सख्त है। विकास बनाम राजस्थान राज्य (2014) 3 एस. सी. सी. 321 में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर किसी व्यक्ति को "गिरफ्तार" या "समन" किया जा सकता है, जैसा कि मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है, यदि यह साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही आरोपित अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

.....

105. धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य होता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से।

106. इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, आवश्यक रूप से प्रतिपररिक्षण के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि होगी। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 319 में यह उपबंध करने का उद्देश्य यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जो अभियुक्त नहीं है" इन शब्दों से स्पष्ट है "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है"। उपयोग किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कार्य करने वाली अदालत के लिए

आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

प्रश्न (v)-किन स्थितियों में इस धारा के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता हैःएफ. आई. आर. में नाम नहीं है; एफ. आई. आर. में नाम है लेकिन आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है या आरोपमुक्त कर दिया गया है?

107. **जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 345**, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस तर्क के संबंध में कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में आने वाला वाक्यांश "कोई भी व्यक्ति अभियुक्त नहीं है" उसके संचालन से एक आरोपी को बाहर करता है जिसे पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत रिहा कर दिया है और जिसे आरोप पत्र के कॉलम 2 में दिखाया गया है, इस तर्क को केवल खारिज किया जाना चाहिए। उक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को शामिल करती है, जिस पर पहले से ही अदालत द्वारा विचारण नहीं किया जा रहा है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) जैसे प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा जांच के दौरान हटा दिया गया है, लेकिन जिनके खिलाफ अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले सबूत आपराधिक अदालत के समक्ष आते हैं, उन्हें भी उक्त अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है।

.....

111. यहां तक कि **धरम पाल बनाम राज्य में संविधान पीठ ने भी हरियाणा सरकार, (2014) 3 एस. सी. सी. 306** ने अभिनिर्धारित किया है कि सत्र न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र का भी प्रयोग कर सकता है और किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन कर सकता है यदि उसका नाम आरोप पत्र के कॉलम 2 में आता है, एक बार जब वाद उसके लिए प्रतिबद्ध हो गया था। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्राथमिकी या

आरोप पत्र में भी नहीं आता है या जिसका नाम प्राथमिकी में आता है और आरोप पत्र के मुख्य भाग में नहीं बल्कि कॉलम 2 में आता है और जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी के रूप में तलब नहीं किया गया है, उसे अभी भी अदालत द्वारा तलब किया जा सकता है, बशर्ते कि अदालत संतुष्ट हो कि उक्त वैधानिक प्रावधानों में प्रदान की गई शर्तें पूरी हो गई हैं।

112. हालाँकि, मुक्ति दिए गए व्यक्ति के संबंध में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति जिसे मुक्ति दे दी गई है, वह उस व्यक्ति की तुलना में अलग है जिस पर कभी अनुसंधान नहीं हुआ या हुआ भी लेकिन उसके खिलाफ आरोप पत्र नहीं था। ऐसा व्यक्ति अदालत के समक्ष जांच के चरण में खड़ा रहा है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की न्यायिक जांच पर, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं है। आम तौर पर, विचारण में साक्ष्य का चरण केवल जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को साबित करना होता है और इसलिए, इस तरह से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ मौजूद सामग्री के संबंध में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। इसलिए, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए। अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि गवाह जब इस तरह से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य दे रहा है, तो वह केवल बदला लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है या किसी के कहने पर या ऐसे अन्य बाहरी विचारों के लिए उसका नाम ले रहा है। अदालत को इस तरह के साक्ष्य का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी होगी। भूसी को अनाज से अलग करने का प्रयास करें। यदि साक्ष्य की इस तरह की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, अदालत की राय है कि इस तरह से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत मौजूद हैं, तो वह सीधे तौर पर धारा 319

सीआरपीसी के प्रावधान का सहारा लिए बिना केवल धारा 398 सीआरपीसी के अनुसार कदम उठा सकती है।

113. सोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 580 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक बार किसी आरोपी को आरोपमुक्त कर दिए जाने के बाद, धारा 398 सी. आर. पी. सी. के तहत परिकल्पित जांच की प्रक्रिया को धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत प्रक्रिया निर्धारित करके दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

.....

115.धारा 398 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति पुनरीक्षण शक्ति की प्रकृति में है जिसका प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (5) के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के तहत आरोपमुक्त किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिवाय उस अदालत की सहमति के जिसके द्वारा उसे आरोपमुक्त किया गया था या किसी अन्य अदालत के जिसके लिए प्रथम उल्लिखित अदालत अधीनस्थ है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वयं या उनके अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामले की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं, जिसे पहले ही आरोपमुक्त कर दिया गया है। इन दोनों प्रावधानों में किसी भी व्यक्ति, जिसे पहले ही आरोपमुक्त कर दिया गया है, को उसके खिलाफ कुछ सबूत सामने आने पर फिर से मुकदमे का सामना करने के लिए कहने से पहले जांच करने पर विचार किया गया है। जैसा कि पहले निर्धारित किया गया है, जांच के चरण में भी धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की जा सकती है। हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि धारा 300 (5) दंड प्रक्रिया

संहिता और धारा 398 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा अनुध्यात जांच सी. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत जांच क्यों नहीं हो सकती। तदनुसार, आरोपमुक्त किए गए व्यक्ति को भी अभियुक्त के रूप में फिर से आरोपित किया जा सकता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (5) और 398 द्वारा विचार की गई जांच के बाद ही। यदि ऐसी जांच के दौरान या उसके बाद, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत दिखाई देता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत "विचारण " शब्द को उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर ग्रहण कर लिया जाएगा और जहां तक छुट्टी दिए गए व्यक्ति का संबंध है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं।

116. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है जिसका अनुसंधान नहीं की गया है, या जिसको आरोप पत्र के कॉलम 2 में नहीं रखा गया गया है और जिसके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसे आरोपमुक्त कर दिया गया है। हालांकि, जिस व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के साथ पठित धारा 300 (5) के प्रावधानों का सहारा लिए बिना सीधे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।"

(जोर दिया गया)

13. सुसंगत वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक उदाहरणों पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरदीप सिंह मामले (उपरोक्त)** में धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता की सीमा और दायरे के संबंध में कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत कियाः

"117. तदनुसार हम अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार देते हैंः

प्रश्न (i) और (iii)

– किस स्तर तक दंड प्रक्रिया संहिता सकी धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है?और-क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और इसमें जांच/अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य शामिल हैं या "साक्ष्य" शब्द विचारण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक सीमित है?

जवाब

117.1.धरम पाल मामले में [धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 305: ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3018], संविधान पीठ ने पहले ही कहा है कि अपराध करने के बाद, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है जिसका नाम आरोपी के रूप में नहीं है, लेकिन जिसके खिलाफ अनुसंधान पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा दायर दस्तावेजों से सामग्री उपलब्ध है। इस तरह का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत लिया जा सकता है और सत्र न्यायाधीश को अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत "सबूत" उपलब्ध होने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

117.2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319, महत्वपूर्ण रूप से, दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए अर्थात (1) जांच (2) विचारण।। चूंकि आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होता है, इसलिए जांच को केवल पूर्व विचारण जांच ही समझा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200,201,202 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के तहत पूछताछ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 द्वारा विचार की गई जांच की प्रजातियां हैं। इस तरह की पूछताछ के दौरान अदालत के समक्ष आने वाली सामग्री का उपयोग विचारण शुरू होने के बाद अदालत में दर्ज साक्ष्य की पुष्टि के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए और एक ऐसे आरोपी को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है जिसका नाम आरोप पत्र के कॉलम 2 में दिखाया गया है।

117.3. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में "साक्ष्य" शब्द को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए न कि शाब्दिक रूप से यानी विचारण के दौरान लाए गए साक्ष्य के रूप में।

प्रश्न (ii)-क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द का अर्थ केवल प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण किया गया साक्ष्य हो सकता है या न्यायालय संबंधित गवाह की परीक्षा में दिए गए बयान के आधार पर भी उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है?

जवाब

117.4.इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक व्यक्ति जिसके खिलाफ महत्त्वपूर्ण और उपयुक्त तथ्य का खुलासा किया जाता है, उसे केवल विचारण का सामना करने के लिए बुलाया जाता है और ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (4) के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही संज्ञान लेने के चरण से शुरू होनी है, अदालत को प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण के लिए बुलाए जाने के लिए प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ साक्ष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न (iv)-किसी अभियुक्त को आरोपित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की प्रकृति क्या है?क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि समन किए गए अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने की पूरी संभावना है?

जवाब

117.5.यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (4) (बी) के तहत बाद में अभियुक्त को इस तरह माना जाना चाहिए जैसे कि वह एक आरोपी था जब अदालत ने शुरू में अपराध का संज्ञान लिया था, तथापि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को समन करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की मात्रा वही होगी जो आरोप तैयार करने के लिए आवश्यक होगी। (पैरा 106 में वर्णित विधि का

निष्कर्ष,पी. 138 सी-डी, की तुलना की जा सकती है:"इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत, यदि अप्रमाणित हो जाता है, तो दोषसिद्धि का कारण बन सकता है। विशेष रूप से पी पर पैरा 100 में भी देखें। 136 एफ-जी।]. वास्तविक/पूर्व अभियुक्त और उसके बाद के अभियुक्त को समन करने के लिए संतुष्टि की डिग्री में अंतर इस तथ्य के कारण है कि हो सकता है कि वास्तविक/पूर्व अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका हो और इस तरह के मुकदमे के दौरान ही नए बुलाए गए अभियुक्त के खिलाफ सामग्री का खुलासा किया जाता है। अभियुक्त के नए समन के परिणाम स्वरूप विचारण में देरी होगी इसलिए अभियुक्त (पूर्व और बाद में) को समन करने के लिए संतुष्टि की मात्रा अलग होनी चाहिए।

प्रश्न (v)-क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति उन व्यक्तियों तक फैली हुई है जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है या जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है, लेकिन जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है या जिन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया है?

जवाब ।

117.6. एक व्यक्ति जिसका नाम एफ. आई. आर. में नहीं है या एक व्यक्ति जिसका नाम हालांकि एफ. आई. आर. में है, लेकिन आरोप पत्र में नहीं है या एक व्यक्ति जिसे आरोपमुक्त कर दिया गया है, उसे धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत तलब किया जा सकता है, बशर्ते कि सबूत से यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ तक आरोपमुक्त किए गए अभियुक्त का संबंध है, उसे नए सिरे से बुलाए जाने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 और 398 की आवश्यकता का पालन करना होगा।

(जोर दिया गया)

14. **एस. मोहम्मद इस्पाहानी बनाम योगेंद्र चंडक और अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 226**,में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से उस अभियुक्त को समन करने पर विचार किया था जिसका नाम प्राथमिकी में था लेकिन आरोप पत्र में उसका नाम नहीं था ताकि वह चल रहे विचारण का सामना कर सके। इस फ़ैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

> "35. इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, लेकिन पुलिस, अनुसंधान के बाद, उस विशेष व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे संलिप्त किए बिना आरोप पत्र दायर करती है, तो अदालत शक्तिहीन नहीं होती है, और समन के स्तर पर, यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए, भले ही आरोप पत्र में उसका नाम न हो, तो वह ऐसा कर सकती है। उस स्तर पर, शिकायतकर्ता को एक विरोध याचिका दायर करने का भी मौका दिया जाता है जिसमें निचली अदालत से अन्य व्यक्तियों को भी तलब करने का आग्रह किया जाता है जो प्राथमिकी में नामित थे लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया। एक बार वह चरण समाप्त हो जाने के बाद, न्यायालय तब भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है। हालाँकि, यह धारा तब शुरू हो जाती है जब विचरण के दौरान प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ कुछ सबूत सामने आते हैं।"

(जोर दिया गया)

15. इसी तरह का विचार फिर से माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा व्यक्त किया गया। **राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2019) 6 एस. सी. सी. 368,** निम्नलिखित रूप में धारण करता हैः-

> "6.10 इस प्रकार एक ऐसे मामले में भी जहां शिकायतकर्ता को एक विरोध याचिका दायर करने का अवसर देने

> का चरण, जिसमें निचली अदालत से अन्य व्यक्तियों को भी तलब करने का आग्रह किया गया था, जिनका नाम प्राथमिकी में था, लेकिन जिन्हें आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था, उस मामले में भी, अदालत अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है और यहां तक कि उन व्यक्तियों को भी जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है, लेकिन जिन्हें आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया है का प्रश्न है उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, बशर्ते कि मुकदमे के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत सामने आए।"
>
> (जोर दिया गया)

16. मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2021) 18 एस. सी. सी. 321, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए धारा 319 सीआरपीसी के दायरे और सीमा पर फिर से विचार किया था और कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा थाः

> "**15**. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्तियों के दायरे और सीमा पर उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः
>
> **15.1**.कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बिना आरोप पत्र वाले नामित व्यक्तियों को बुलाने का पूरा प्रयास इसके लिए है किसी अपराध के वास्तविक अपराधी को दंडित किए बिना सजा पाए भाग नहीं सके है।
>
> **15.2.** न्यायालयों के सशक्तिकरण के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपराधिक न्याय प्रशासन ठीक से काम करता है।
>
> **15.3.**कानून को ठीक से संहिताबद्ध किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विधायिका द्वारा संशोधित यह दर्शाता है कि अदालतों को अंततः सच्चाई का पता लगाने के

लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि निर्दोष को दंडित न किया जाए, लेकिन साथ ही, दोषियों को कानून के तहत कानून के दायरे में लाया जाए।

15.4. वास्तविक सत्य का पता लगाने के लिए न्यायालय के कर्तव्य का निर्वहन करना और यह सुनिश्चित करना कि दोषी बिना दंड के न जाए।

15.5.जहाँ जाँच एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से किसी एक को भी अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, वहाँ अदालत /न्यायालय उक्त अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए बुलाने में असमर्थ नहीं है।

15.6 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 अदालत/न्यायलय को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देती है जो उसके पहले के मामले में आरोपी नहीं है।

15.7.अदालत न्याय का एकमात्र भंडार है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए उस पर एक कर्तव्य डाला गया है और इसलिए, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अदालतों के साथ ऐसी शक्तियों के अस्तित्व से इनकार करना अनुचित होगा, जहां यह असामान्य नहीं है कि वास्तविक आरोपी, कभी-कभी, जांच और/या अभियोजन एजेंसी में हेरफेर करके भाग जाते हैं।

15.8. धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता एक सक्षम प्रावधान है जो अदालत/न्यायलय को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार देता है जो विचाराधीन अपराध करने के लिए भी आरोपी नहीं है।

15.9. धारा 319 (1)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद और निर्णय की घोषणा से पहले किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, सिवाय धारा 207/208 दंड प्रक्रिया संहिता समर्पण आदि के चरण के, जो केवल एक पूर्व- विचारण चरण है जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को गति देना है।

15.10.अदालत/न्यायालय धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग विचरण के शुरू होने और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होने के बाद ही कर सकती है।

15.11.. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में "साक्ष्य" शब्द का अर्थ केवल वही साक्ष्य है जो न्यायालय के समक्ष, बयानों के संबंध में और दस्तावेजों के संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

15.12. यही केवल ऐसे साक्ष्य जिन्हें मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा यह तय करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है, न कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर।

15.13.यदि मजिस्ट्रेट/अदालत आश्वस्त है तो विचारण के दौरान गवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ आगे बढ़ सकता है।

15.14. कि यदि मजिस्ट्रेट/अदालत मुख्य परीक्षा में उपस्थित साक्ष्य के आधार पर भी आश्वस्त हो जाती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

15.15. सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत इस शक्ति का प्रयोग मुख्य परीक्षा के पूरा होने के चरण में भी किया जा सकता है और अदालत को तब तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उक्त साक्ष्य का जिरह पर परीक्षण नहीं किया जाता है।

15.16. यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां शिकायतकर्ता को विरोध याचिका दायर करने का अवसर देने का चरण चला गया है, जिसमें निचली अदालत से अन्य व्यक्तियों को भी तलब करने का आग्रह किया गया है, जिनके नाम प्राथमिकी में शामिल किए गए थे, लेकिन आरोप पत्र में शामिल

> नहीं किए गए थे, उस मामले में भी, अदालत अभी भी धारा 319 सी. आर. पी. सी. के आधार पर शक्तिहीन नहीं है और यहां तक कि उन व्यक्तियों को भी मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, जिनके नाम प्राथमिकी में हैं, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं हैं, बशर्ते कि मुकदमे के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत सामने आए (अभियोजन पक्ष के गवाहों की परीक्षा-इन-चीफ के रूप में हो सकते हैं)।"

(जोर दिया गया)

17. जितेंद्र नाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2023) 7 एस. सी. सी. 344 में, माननीयउच्चतम न्यायालय ने धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया हैः .

> "10. धारा 319 (आई. डी. 1), जो एक विवेकाधीन शक्ति की परिकल्पना करती है, अदालत को किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए विचारण का अधिकार देती है जिसे आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है या उसका उल्लेख नहीं किया गया है, यदि यह साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने एक अपराध किया है जिसके लिए उस पर विचारण का सामना कर रहे आरोपी के साथ मिलकर विचारण चलाया जाना चाहिए। इस तरह की शक्ति का प्रयोग अदालत द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिसका नाम प्राथमिकी में नहीं है, या जिसका नाम प्राथमिकी में है, लेकिन आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है।इसलिए, धारा 319. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि अभिलेख पर साक्ष्य किसी अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता और को दिखाना चाहिए
>
> जिस व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं किया गया है, उसे पहले से आरोपित अभियुक्त के साथ मुकदमे का सामना करना चाहिए। तथापि, यदि न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने का इरादा रखता

है, तो उसे केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए कि कुछ साक्ष्य रिकॉर्ड पर आए हैं जो उस व्यक्ति को निहित करते हैं जिसे समन करने की मांग की गई है; उसके तहत आदेश से पहले उसकी संतुष्टि प्रथम दृष्टया आरोप बनाए जाने के चरण में बनाई गई संतुष्टि से अधिक होनी चाहिए और इस हद तक संतुष्टि से कम होनी चाहिए कि साक्ष्य, यदि अप्रमाणित हो, तो दोषसिद्धि का कारण बन सकता है।

(जोर दिया गया)

18. जुहरू और अन्य बनाम करीम और एक अन्य (2023) 5 एस. सी. सी. 406, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से धारा 319 सीआरपीसी की सीमा और दायरे को इस प्रकार समझायाः

"**16**. इस प्रकार, उद्धृत निर्णयों के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत समन भेजने की शक्ति का नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और एक अतिरिक्त आरोपी को समन करने के लिए प्रथम दृष्टया से अधिक सबूत का अस्तित्व अनिवार्य है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए शक्ति के ज़्यादा दुरुपयोग को रोकने के लिए और ऊपर निर्दिष्ट बाध्यकारी न्यायिक आदेशों के अनुरूप, प्रक्रियात्मक सुरक्षा यह हो सकती है कि आमतौर पर विचरण के शुरुआत में किसी व्यक्ति को बुलाने को हतोत्साहित किया जा सकता है और निचली अदालत को उन व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए जिन्हें बुलाने की मांग की गई है और फिर यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसी सामग्री/ साक्ष्य , कम या ज्यादा, वही महत्व और मूल्य रखती है जो पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे लोगों के खिलाफ गवाही दी गई है। किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

19. ओ. एम. आई. @ओमकार राठौर और अन्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, के नवीनतम फैसले में जो की 3.01.2025 **[2024 की एस. एल. पी. (क्रिम) संख्या 17781]** पर निर्णय लिया गया है,उसमे **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता कानून के सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया है। धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित शब्दों में

> "21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के संबंध में कानून के सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः
>
> क. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के साथ-साथ उपरोक्त दो निर्णयों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि निचली अदालत को अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ विचारण का सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जोड़ने का निस्संदेह अधिकार क्षेत्र है, यदि अदालत/न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में इस साक्ष्य पर संतुष्ट है कि जिन व्यक्तियों को आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें विचारण का सामना करना चाहिए। यह आगे स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को भले ही शुरू में प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन आरोप पत्र में नहीं, लेकिन मुकदमे का सामना करने के लिए जोड़ा जा सकता है।
>
> ख. निचली अदालत ऐसे व्यक्तियों को केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी के रूप में जोड़ने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है, न कि आरोप पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप पत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री साक्ष्य नहीं है।
>
> ग. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अदालत की शक्ति प्राथमिकी में संबंधित व्यक्ति का नाम लेने या न लेने से नियंत्रित या शासित नहीं होती है। न ही यह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र जमा करने पर निर्भर है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि धारा 319 में 'कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं है' वाक्यांश अपने संचालन से एक आरोपी को बाहर करता है जिसे संहिता की धारा 169 के तहत पुलिस द्वारा रिहा किया गया है और आरोप पत्र के कॉलम संख्या 2 में दिखाया गया है, इस तर्क को केवल खारिज किया

जाना है। उक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को शामिल करती है, जिस पर पहले से ही न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है और धारा 319 (1) जैसे प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा जांच के दौरान हटा दिया गया है, लेकिन जिनके खिलाफ अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले सबूत आपराधिक न्यायालय के समक्ष आते हैं, उन्हें भी उक्त अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है।

ग. निचली अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अनुसंधान अधिकारी के अभिलेखों पर विचार करके नए अभियुक्तों को जोड़ने के आवेदन को अस्वीकार कर दे। जब शिकायतकर्ता का साक्ष्य स्वीकार किए जाने के योग्य पाया जाता है तो जांच अधिकारी की संतुष्टि शायद ही मायने रखती है। यदि जांच अधिकारी की संतुष्टि निर्धारक माना जाना है। तब धारा 319 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।"

20. अतः, सांविधिक प्रावधानों और बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के साथ मिलकर विचारण म के लिए बुलाने का अधिकार है, यदि न्यायालय को चल रहे मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उसने अपराध किया है। इस तरह के प्रावधान के पीछे तर्क यह है कि न्यायालय न्याय का एकमात्र भंडार है और कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि कोई भी दोषी व्यक्ति जांच और/या अभियोजन एजेंसी में हेरफेर करके आपराधिक न्याय प्रणाली से न बचे।

21. यहाँ, 'कोई भी व्यक्ति' अभिव्यक्ति का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिस पर न्यायालय द्वारा चल रहे मुकदमे में विचारण नहीं किया जा रहा है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनका नाम प्राथमिकी में था लेकिन जांच के बाद आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें आरोप तय करने के चरण में अपराध मुक्त किया गया था , उन्हें "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति में शामिल किया

गया है और धारा 319 सीआरपीसी के तहत धारा 300 और 398 सीआरपीसी की आवश्यकताओं का पालन करते हुए तलब किया जा सकता है।

22. जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 107, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि जिन व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी में था, लेकिन जिन्हें पुलिस द्वारा धारा 169 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिहा कर दिया गया था। और आरोप पत्र के बिना, "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति से बाहर रखा गया है। लेकिन माननीय संविधान पीठ ने (**ऊपर दिए गए**) **हरदिप सिंह मामले** में इसपर सहमति नहीं जताई। और अभिनिर्धारित किया कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्राथमिकी में में नामित किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, वह भी धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के दायरे में आता है और यदि साक्ष्य अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाता है तो उन्हें तलब किया जा सकता है। यहां तक कि **धरम पाल मामले (उपरोक्त)** में भी, माननीय संविधान पीठ ने निर्णय दिया है कि प्राथमिकी में नामित व्यक्तियों को, लेकिन जांच के बाद पुलिस द्वारा जिनपर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, उन्हें अदालत द्वारा तलब किया जा सकता है, बशर्ते कि अदालत संतुष्ट हो कि वैधानिक प्रावधानों में प्रदान की गई शर्तें पूरी हो गई हैं।

23. यह भी सामने आता है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना है जहां मामले की परिस्थितियां इसकी आवश्यकता होती हैं। इसका प्रयोग आकस्मिक और असामान्य/बेपरवाह तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

24. यह भी सामने आता है कि धारा 319 दंड प्रकिया संहिता के तहत समन के समय अदालत/न्यायालय को यह देखना होगा कि अदालत/ न्यायालय के समक्ष

रखे गए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक मजबूत और ठोस सबूत है, न कि केवल उसकी संलिप्तता की संभावना। न्यायालय की संतुष्टि की डिग्री बहुत सख्त है। परीक्षा जो यहाँ लागू होती है वह यह कि है। आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत, यदि अप्रमाणित हो जाता है, तो दोषसिद्धि का कारण बन सकता है। "साक्ष्य" विचारण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक सीमित है। न्यायालय मुख्य परीक्षा के पूरा होने के स्तर पर भी धारा 319 दान प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और प्रतिपरीक्षा के पूरा होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, अपराध में मुकदमे का सामना नहीं कर रहे अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में अदालत/न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए।

25. इस मामले पर आते हुए, मैंने पाया कि याचिकाकर्ताओं का नाम प्राथमिकी में था और जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों की जाँच के बाद, अभियोजन पक्ष के आवेदन पर ज्ञात निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं को धारा 319 सी.आर.पी.सी. के तहत चल रहे मुकदमे में आरोपी के साथ विचारण के लिए बुलाया। जैसा कि संविधान पीठ की **हरदीप सिंह वाद (उपरोक्त)** में यह निर्धारित किया गया की जो व्यक्ति प्राथमिकी में नामित है लेकिन उस पर अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है उसे भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ के तहत तलब किया जा सकता अगर उसकी संलिप्तता की मज़बूत और ठोस साक्ष्य विचारण के दौरान आते हैं। **शिवाजी सिंह वाद (उपरोक्त)** जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है मेरी विनम्र राय में, बाध्यकारी निर्णय की अनदेखी में लिया गया है और यह न्यायालय इस निर्णय से बंध नहीं सकता। क्योंकि इसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **हरदीप सिंह वाद (उपरोक्त**) में

पारित निर्णयाधार की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है। शिवजी वाद में याचिककर्ता प्राथमिकी में नामज़द थे लेकिन अनुसंधान के बाद आरोपित नहीं थे और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था। लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश **सोहन लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 580** पर भरोसा करते हुए और हरदीप सिंह वाद (उपरोक्त) में पारित निर्णयाधार की अनदेखी करते हुए उनके खिलाफ पारित समन आदेश को दरकिनार करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।

26. सोहन लाल मामले (उपरोक्त) के अवलोकन से, यह यह स्पष्ट करता है कि यह 1990 में सर्वोच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा तय किया गया था और उस मामले में सवाल यह था कि क्या आंशिक रूप से या पूरी तरह से मुक्त किए गए गए व्यक्तियों को धारा 319 सी.आर.पी.सी. के तहत तलब किया जा सकता है।

> "33. .....धारा 319 के प्रावधानों को संहिता की धारा 398 के प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाना था। एक बार जब कोई व्यक्ति मामले में आरोपी पाया जाता है तो वह धारा 319 की पहुंच से बाहर हो जाता है। क्या उससे संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत निपटा जा सकता है, यह एक अलग सवाल है। ऐसे मामले जिसमे अभियुक्त को संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया है, ऐसे आदेश की अंतिमता की प्रकृति और संहिता की धारा 398 के तहत संशोधन के अधीन कार्यमुक्त किए गए व्यक्तियों के परिणामी संरक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता की प्रतिशोध की इच्छा के साथ छेड़छाड़ की जानी चाहिए, जैसा कि सर जेम्स स्टीफन कहते हैंः "आपराधिक कानून विवाह के बाद की यौन इच्छा समान ही बदला लेने के जुनून को दर्शाता है।" (इंग्लैंड के आपराधिक कानून का सामान्य दृष्टिकोण, पृष्ठ 99)। जहां तक अपीलार्थी 1 से 3 का संबंध है,

> धारा 216 के तहत एपीपी के आवेदन पर धारा 216 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अपीलार्थी 4 और 5 पर न तो धारा 216 के तहत और न ही धारा 319 के तहत कार्रवाई की जा सकती थी। इस मामले के उस दृष्टिकोण में जहां तक अपीलार्थी 4 और 5, अर्थात् विजया बाई और जिया बाई का संबंध है, मजिस्ट्रेट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार करना होगा, जिसे हम एतद्द्वारा करते हैं। अपीलों को उस हद तक अनुमति दी जाती है।"

27. लेकिन मैं पाता हूँ कि **शिवाजी सिंह के मामले (ऊपर)** में, याचिकाकर्ताओं को मुक्त नहीं किया गया था। वास्तव में, प्राथमिकी. में उनका नाम था लेकिन जाँच के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। इसलिए, **सोहन लाल मामले (ऊपर)** का अनुपात गलत था। मेरी विनम्र और सम्मानजनक राय में, विद्वान एकल द्वारा लागू किया गया **शिवाजी सिंह मामले (ऊपर)** में न्यायाधीश और **हरदीप सिंह वाद (उपरोक्त)** में पारित निर्णयाधार को नजरअंदाज कर दिया गया।

28. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय के लिए धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाकर्ताओं को बुलाने की कानूनी रूप से अनुमति थी, यदि चल रहे मुकदमे के दौरान दर्ज साक्ष्य मजबूत और ठोस था।

29. अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री के अनुसार, मैं पाता हूँ कि, कथित तौर पर, याचिकाकर्ताओं और सह-अभियुक्तों ने मुखबिर के घर जैसी झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके घर और घरेलू सामान नष्ट हो गए थे। मुकदमे के दौरान, तीन गवाहों, शिवनाथ शाह, बाबूलाल मिश्रा और लालबाबू मिश्रा से पूछताछ की गई। विचारण के दौरान दर्ज किए गए उनके साक्ष्य के अवलोकन के बाद, मैंने पाया कि शिवनाथ शाह कथित घटना के चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने मुखबिर के घर में आग लगा दी थी जिसके परिणामस्वरूप उसके घर और घरेलू सामान नष्ट हो गए थे। उसके साक्ष्य उसकी

प्रतिपरीक्षा के बाद भी ध्वस्त नहीं होते हैं। पी.डब्लू.-2, बाबूलाल मिश्रा भी मामले के एक चश्मदीद गवाह और मुखबिर हैं और उन्होंने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन मामले का समर्थन किया है। जिरह के बाद भी उसका सबूत बरकरार प्रतीत होता है। पी.डब्लू.-3-लालबाबू मिश्रा, कथित घटना के चश्मदीद गवाह भी हैं और उन्होंने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन मामले का समर्थन किया है। जिरह के बाद भी उसका सबूत बरकरार प्रतीत होता है।

30. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं और मुखबिर के बीच उस भूमि के बारे में विवाद है जिस पर मुखबिर का झोपड़ी जैसा घर खड़ा था और आग से नष्ट हो गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के लिए अपराध करने का एक मजबूत उद्देश्य प्रतीत होता है।

31. इसलिए, मुझे लगता है कि चल रहे मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज साक्ष्य मजबूत और ठोस हैं। यह एक *प्रथम दृष्टया* मामले से अधिक है। इस प्रकार, विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है जो वर्तमान याचिका को खारिज करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

32. तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

शोएब/

एस.अली/चंदन-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।